



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25—जुलाई 31, 2015 (श्रावण 3, 1937)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25—JULY 31, 2015 (SRAVANA 3, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2015

सं. ए.12(11)1/2009-चि.-IV—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) तथा उप धारा (2) के खंड (xxi) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सं. ए-12(11)1/2008-चि.IV, दिनांक 2 मई 2009 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम, 2008 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए चिकित्सा शिक्षण संकाय पदों की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम, 2015 कहे जायेंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- अनुप्रयोज्यता : ये विनियम इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान : पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. चयन बोर्ड का गठन :

(1) चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (क) सचिव अथवा अपर सचिव, भारत सरकार स्तर के समतुल्य अंशकालिक अध्यक्ष या जिस व्यक्ति ने भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव के समतुल्य पद धारित किया हो, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाए।
- (ख) की जाने वाली भर्ती के शास्त्र या विशेषज्ञता क्षेत्र के दो चिकित्सा विशेषज्ञ, जिन्हें महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा; तथा
- (ग) नई दिल्ली में चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागीय विशेषज्ञ होगा तथा अन्य राज्यों के मामलों में संबंधित राज्य के वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त विभागीय विशेषज्ञ होंगे।

परंतु किसी कारणवश इन अधिकारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में महानिदेशक विभागीय विशेषज्ञ के रूप में किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है।

- (2) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। तथापि, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा उनकी पदावधि कम की अथवा बढ़ाई जा सकती है।
- (3) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा या दंत्य विशेषज्ञ, केंद्र सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा यथा नियत दरों पर यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे।

6. चयन की प्रक्रिया तथा रीति :

- (1) उक्त अनुसूची में शामिल इन पदों पर सीधी भर्ती सामान्यतः चयन बोर्ड द्वारा प्राप्त अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी।

परंतु यदि चयन बोर्ड द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के किसी साक्षात्कार के आधार के अलावा भर्ती हेतु भिन्न रीति अंगीकृत करनी आवश्यक हो जाती है तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महानिदेशक इसे अंगीकृत कर सकेंगे और तथापि, भर्ती की रीति विज्ञापन में अधिसूचित कर दी जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

- (2) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के संबंध में निर्णय चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा रिक्तियों की संख्या तथा विहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (3) आयु, अर्हता, अनुभव आदि की विहित अपेक्षाएं पूरा करने मात्र से ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने अथवा विज्ञापित पद पर किसी प्रकार के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा।
- (4) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवेदनों के प्रक्रमण संबंधी समस्त कार्य महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (5) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहायता, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

7. निरर्हता : ऐसा कोई व्यक्ति :-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकते हैं।

8. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्र सरकार का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन लेकर व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

9. व्यावृत्ति : इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

दीपक कुमार
महानिदेशक

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित वेतन बैंड	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) स्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा संकाय अध्यक्ष	23*(2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	समूह 'क' के समकक्ष अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	₹ 10,000/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4, ₹ 37,400—67,000/- और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	लागू नहीं	55 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार क.रा.बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हता	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(7)	(8)	(9)
सामान्य शास्त्रों हेतु : शैक्षिक अर्हताएं (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए); तथा (ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अर्थात् आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.) या शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) अथवा संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता टिप्पणी : संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुसूची-1 की तालिका-1—“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार हो।	लागू नहीं	एक वर्ष

<p>अनुभव :</p> <p>(i) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.) या शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) अथवा इसके समकक्ष अर्हता की अर्हक उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता या विषय में मान्यताप्राप्त संस्था में चौदह वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा/अथवा अनुसंधान अनुभव।</p> <p>(ii) किसी चिकित्सा महाविद्यालय में आचार्य या सह आचार्य अथवा उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में हो।</p> <p>टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में चयन बोर्ड के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर चयन बोर्ड की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।</p> <p>टिप्पणी 3 : यह अनुभव भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमान्य शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई विधिमान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।</p> <p>टिप्पणी 4 : शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के पद के समान किसी अन्य पद में शिक्षण अनुभव पर पात्रता प्रयोजन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।</p>	
--	--

भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति या अल्पावधि संविदा द्वारा [प्रतिनियुक्ति या भर्ती द्वारा संविदा के मामले में अभ्यर्थी को स्तंभ (7) में परिगणित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करनी होंगी।]</p>	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्रक के अधीन अधिकारी :</p> <p>(i) सदृश पदधारी तथा स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के अनुसार समान अर्हता तथा अनुभव रखने वाला</p> <p>टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, इसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 4 : संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि पर 62 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 5 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा</p>	<p>स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति :</p> <p>1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार) —अध्यक्ष</p> <p>2. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय —सदस्य</p> <p>3. महानिदेशक, कर्मचारी राज्या बीमा निगम —सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

	नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को एक ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(2) निदेशक आचार्य	51 (2015)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	समूह 'क' के समकक्ष अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	₹ 10,000/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4, ₹ 37,400—67,000/- और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति</p> <p>₹ 8,700/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4, ₹ 37,400—67,000/- में *सात वर्ष की नियमित सेवा वाले आचार्य</p> <p>(*चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अन्य कारणों से तथा अध्ययन प्रयोजन से ली गई असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में शामिल नहीं होगी)</p> <p>टिप्पणी 1 : पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा को पूर्ण करने की तिथि और पदोन्नति हेतु विचार करने से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषजनक पूरा किए जाने के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढाँचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के अधीन अधिकारी :</p> <p>(i) सदृश पदधारी अथवा</p> <p>(ii) ₹ 8,700/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4, ₹ 37,400—67,000/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में सात वर्ष का अनुभव रखने वाले आचार्य।</p> <p>टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य, संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति</p>	<p>पदोन्नति पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति :</p> <p>1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, (भारत सरकार)</p> <p>—अध्यक्ष</p> <p>2. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय</p> <p>—सदस्य</p> <p>3. महानिदेशक, कर्मचारी राज्या बीमा निगम</p> <p>—सदस्य</p>	लागू नहीं

<p>पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को एक ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) आचार्य	366 (2014)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	समूह 'क' के समकक्ष अल्पिकवर्गीय, अराजपत्रित	₹ 8,700/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4, ₹ 37,400—67,000/- और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार क.रा.बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

(7)
<p>सामान्य शास्त्रों हेतु :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं</p> <p>चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य</p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए); तथा</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अर्थात् आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.) या शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) अथवा संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता</p> <p>(iii) दंत्य विज्ञान हेतु : स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् दंत्य शल्य विज्ञान निष्णात (एम.डी.एस.) या संबंधित विषय अथवा संबद्ध शास्त्र में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य</p> <p>(i) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में निष्णात उपाधि; तथा</p> <p>(ii) संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट उपाधि</p> <p>टिप्पणी : संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुसूची-1 की तालिका-1—“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार हो।</p> <p>अनुभव :</p> <p>क) संबंधित विशेषज्ञता में मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p>

टिप्पणी : 24 जुलाई, 2009 से प्रभावी 4 वर्ष की संक्रमणकालिक अवधि, संस्थाओं द्वारा आचार्य के पद पर नियुक्ति या पदोन्नति भारतीय चिकित्सा परिषद् की अधिसूचना—“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं (संशोधन) विनियम 2009”, से पूर्व यथा विद्यमान भारतीय चिकित्सा परिषद्—“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार की जा सकती है।

अथवा

- ख) अनुक्रमणीकृत या राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में न्यूनतम चार अनुसंधान प्रकाशनों सहित किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विशेषज्ञता में सह आचार्य के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव बशर्ते ये अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित हैं या राष्ट्रीय संघों अथवा संबंधित विशेषज्ञता की संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं में प्रथम लेखक के रूप में प्रकाशन हेतु स्वीकृत हैं तथा इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि आचार्य के पद की पदोन्नति हेतु चार अनुसंधान प्रकाशनों की अपेक्षा को संघीय आधार पर लेना चाहिए जिसमें सह आचार्य की पदावधि के दौरान न्यूनतम दो अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित होने चाहिए।

टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव के संबंध में अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर चयन बोर्ड की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 3 : यह अनुभव भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमान्य शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई विधिमान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

टिप्पणी 4 : शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के पद के समान किसी अन्य पद में शिक्षण अनुभव पर पात्रता प्रयोजन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

अति विशिष्टता शास्त्रों हेतु :

शैक्षिक अर्हताएं

- (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए); तथा
- (ii) शल्य चिकित्सा अति विशेषज्ञताओं हेतु एम.सी.एच. (मास्टर ऑफ चेरुजरजिकल) तथा आयुर्विज्ञान अति विशिष्टताओं हेतु एम.डी. (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन) (2 वर्ष या 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) या भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुसूची-I की तालिका-II—“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार संबंधित विषय या विशेषज्ञता में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता।

अनुभव :

- क) संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव;

टिप्पणी : 24 जुलाई, 2009 से प्रभावी 4 वर्ष की संक्रमणकालिक अवधि, संस्थाओं द्वारा आचार्य के पद की नियुक्ति या पदोन्नति भारतीय चिकित्सा परिषद् की अधिसूचना—“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं (संशोधन) विनियम, 2009”, से पूर्व यथा विद्यमान भारतीय चिकित्सा परिषद्—“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार की जा सकती है।

अथवा

- ख) अनुक्रमणीकृत या राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में न्यूनतम चार अनुसंधान प्रकाशनों सहित किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विशेषज्ञता में सह आचार्य के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव बशर्ते ये अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित हैं या राष्ट्रीय संघों अथवा संबंधित विशेषज्ञता की संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं में प्रथम लेखक के रूप में प्रकाशन हेतु स्वीकृत हैं तथा इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि आचार्य के पद की पदोन्नति हेतु चार अनुसंधान प्रकाशनों की अपेक्षा को संघीय आधार पर लेना चाहिए जिसमें सह आचार्य की पदावधि के दौरान न्यूनतम दो अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित होने चाहिए।

टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव के संबंध में अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर चयन बोर्ड की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 3 : यह अनुभव भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमान्य शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई विधिमान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

टिप्पणी 4 : शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के पद के समान किसी अन्य पद में शिक्षण अनुभव पर पात्रता प्रयोजन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती वालों के लिए)	पदोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन अथवा अल्पावधि संविदा द्वारा तथा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : संविदा द्वारा भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के मामले में अभ्यर्थी को स्तंभ (7) में यथा प्रगणित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करनी हैं।

(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति ₹ 7,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, ₹ 15,600—39,100/- में *चार वर्ष की नियमित सेवा वाले सह आचार्य भारतीय चिकित्सा परिषद् के प्रतिमानकों को पूरा करने एवं पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषप्रद समापन के शर्ताधीन। (*चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अन्य कारणों से तथा अध्ययन प्रयोजन से ली गई असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में शामिल नहीं होगी)। टिप्पणी 1 : पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा को पूर्ण करने की तिथि और पदोन्नति हेतु विचार करने से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषजनक पूरा किए जाने के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 3 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढाँचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति केंद्रीय या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के अधीन अधिकारी : (i) सदृश पदधारी अथवा स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव धारक। अथवा (ii) ₹ 7,600/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3, ₹ 15,600—39,100/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में चार वर्ष का अनुभव रखने वाले सह आचार्य। टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, इसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4 : संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि पर 62 वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 5 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित</p>	<p>विभागीय पदोन्नति समिति : 1. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष 2. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य 3. संकाय अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान या दंत्य महाविद्यालय या उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को एक ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) सह आचार्य	385 (2015)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	समूह 'क' के समकक्ष अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	₹ 7,600/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3, ₹ 15,600—39,100/- और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार क.रा. बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

(7)
<p>सामान्य शास्त्रों हेतु :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं</p> <p>चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य</p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए); तथा</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी. (आयुर्विज्ञान वाचस्पति)/ एम.एस. (शल्य विज्ञान निष्णात) या संबंधित विषय अथवा संबद्ध शास्त्र में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता;</p> <p>(iii) दंत्य विज्ञान हेतु स्नातकोत्तर अर्हता जैसे दंत्य शल्य चिकित्सा निष्णात (एम.डी.एस.) या संबंधित विषय अथवा संबद्ध शास्त्र में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य</p> <p>(i) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में निष्णात उपाधि; तथा</p> <p>(ii) संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट उपाधि।</p> <p>टिप्पणी : संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुसूची-1 की तालिका-1-“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार हो।</p> <p>अनुभव :</p> <p>क) संबंधित विशेषज्ञता में मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक या सहायक आचार्य के रूप में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>टिप्पणी : 24 जुलाई, 2009 से प्रभावी 4 वर्ष की संक्रमणकालिक अवधि, संस्थाओं द्वारा सह आचार्य के पद की नियुक्ति या पदोन्नति भारतीय चिकित्सा परिषद् की अधिसूचना-“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं (संशोधन) विनियम, 2009”, से पूर्व यथा विद्यमान भारतीय चिकित्सा परिषद्-“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार की जा सकती है।</p> <p>अथवा</p> <p>ख) अनुक्रमणीकृत या राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में न्यूनतम दो अनुसंधान प्रकाशनों सहित किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के रूप में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव बशर्ते ये अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित हैं या राष्ट्रीय संघों अथवा संबंधित विशेषज्ञता की संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं में प्रथम लेखक के रूप में प्रकाशन हेतु स्वीकृत हैं तथा इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि सह आचार्य के पद की पदोन्नति हेतु दो अनुसंधान प्रकाशनों की अपेक्षा को सहायक आचार्य की पदावधि के दौरान दो अनुसंधान प्रकाशनों से पूरा किया जाना चाहिए।</p>

टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव के संबंध में अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर चयन बोर्ड की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं महानिदेशक, कर्मचारी राज्या बीमा निगम के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 3 : यदि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड का अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सा महाविद्यालय या केंद्रीय संस्थान में सहायक आचार्य के रूप में कार्य कर रहा है तो आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.) या शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम समय-सीमा के अतिरिक्त उसके लिए सह आचार्य के रूप में पदोन्नत होने के लिए एक और वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव अपेक्षित होगा।

टिप्पणी 4 : यह अनुभव भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमान्य शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई विधिमान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

टिप्पणी 5 : शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के पद के समान किसी अन्य पद में शिक्षण अनुभव पर पात्रता प्रयोजन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

अति विशिष्टता शास्त्रों हेतु :

शैक्षिक अर्हताएं

- भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए); तथा
- शल्य चिकित्सा अति विशेषज्ञताओं हेतु मास्टर ऑफ चेरुजरजिकल (एम.सीएच.) तथा आयुर्विज्ञान अति विशिष्टताओं हेतु डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) (2 वर्ष या 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) या भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुसूची-I की तालिका-II—“चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार संबंधित विषय या विशेषज्ञता में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता।

अनुभव :

अनुक्रमणीकृत या राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में न्यूनतम दो अनुसंधान प्रकाशनों सहित किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के रूप में दो वर्ष का शिक्षण अनुभव बशर्ते ये अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित हैं या राष्ट्रीय संघों अथवा संबंधित विशेषज्ञता की संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं में प्रथम लेखक के रूप में प्रकाशन हेतु स्वीकृत हैं तथा इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि सह आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु दो अनुसंधान प्रकाशनों की अपेक्षा को सहायक आचार्य की पदावधि के दौरान दो अनुसंधान प्रकाशनों से पूरा किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव के संबंध में अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर चयन बोर्ड की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी 3 : यदि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड का अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सा महाविद्यालय या केंद्रीय संस्थान में सहायक आचार्य के रूप में कार्य कर रहा है तो आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.) या शल्य विज्ञान निष्णात अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम समय-सीमा के अतिरिक्त उसके लिए सह-आचार्य के रूप में पदोन्नत होने के लिए एक और वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव अपेक्षित होगा।

टिप्पणी 4 : यह अनुभव भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमान्य शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई विधिमान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

टिप्पणी 5 : शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के पद के समान किसी अन्य पद में शिक्षण अनुभव पर पात्रता प्रयोजन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती वालों के लिए)	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या आमेलन या अल्पावधि संविदा द्वारा टिप्पणी : संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, अभ्यर्थी को स्तंभ (7) में यथाप्रगणित अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करना है।

(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति</p> <p>₹ 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, ₹ 15,600—39,100/- में *पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक आचार्य भारतीय चिकित्सा परिषद् (भा.चि.प.) के प्रतिमानकों को पूरा करने एवं पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषप्रद समापन के शर्ताधीन।</p> <p>(*चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अन्य कारणों से तथा अध्ययन प्रयोजन से ली गई असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में शामिल नहीं होगी)</p> <p>टिप्पणी 1 : यदि डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एम.बी.) का अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सा महाविद्यालय या केंद्रीय संस्थान में सहायक आचार्य के रूप में कार्य कर रहा है तो आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.) या शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम समय-सीमा के अतिरिक्त उसके लिए सह आचार्य के रूप में पदोन्नत होने के लिए एक और वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव अपेक्षित होगा।</p> <p>टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अधीन अधिकारी :</p> <p>(i) सदृश पदधारी तथा स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव धारक।</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) ₹ 6,600/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3, ₹ 15,600—39,100/- में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायक आचार्य।</p> <p>टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, इसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 4 : संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि पर 62 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 5 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को एक ग्रेड वेतन अथवा</p>	<p>विभागीय पदोन्नति समिति :</p> <p>1. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष</p> <p>2. संकाय अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान या दंत्य महाविद्यालय —सदस्य</p> <p>3. उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

वेतनमान में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) सहायक आचार्य	761 (2015)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	समूह 'क' के समकक्ष अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	₹ 6,600/- के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3, ₹ 15,600—39,100/- और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार करा.बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

RRs of Assistant Professor has been amended vide notification published on 04.06.2022

(7)
<p>सामान्य शास्त्रों हेतु :</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं</p> <p>चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य</p> <p>(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए); तथा</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् एम.डी. (आयुर्विज्ञान वाचस्पति)/एम.एस. (शल्य विज्ञान निष्णात) या संबंधित विषय अथवा संबद्ध शास्त्र में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता;</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य</p> <p>(i) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में निष्णात उपाधि; तथा</p> <p>(ii) संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट उपाधि।</p> <p>टिप्पणी : संबंधित विषय या संबद्ध शास्त्र भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुसूची-1 की तालिका-1-“चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998” के अनुसार हो।</p> <p>अनुभव :</p> <p>क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.)/शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) की उपाधि धारक अभ्यर्थियों हेतु :</p> <p>संबंधित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजिडेंट या कुल सचिव या निदेशक अथवा अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा उन केंद्रीय संस्थाओं जहां आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.)/शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) का कोई पाठ्यक्रम नहीं चल रहा है, से डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता धारक अभ्यर्थियों हेतु :</p> <p>(i) डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) पाठ्यक्रम के दौरान या डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>(ii) डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में एक वर्ष का अतिरिक्त शिक्षण या अनुसंधान अनुभव भी संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षित है।</p> <p>ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा उन केंद्रीय संस्थाओं जहां आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एम.डी.)/शल्य विज्ञान निष्णात (एम.एस.) का पाठ्यक्रम चल रहा है, से डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता धारक अभ्यर्थियों हेतु :</p>

डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) पाठ्यक्रम के दौरान या राष्ट्रीय बोर्ड से डिप्लोमा प्राप्त कर लेने के पश्चात् मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

घ) भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों अथवा केंद्रीय संस्थाओं से इतर केंद्रों से डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु :

(i) डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पाठ्यक्रम के दौरान या डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(ii) संबंधित अभ्यर्थी के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय या केंद्रीय संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट या अनुसंधान सहयोगी (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के रूप में दो वर्ष का अतिरिक्त शिक्षण अनुभव अपेक्षित है।

ङ) अनुसंधान अनुभव :

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों या केंद्रीय संस्थाओं से इतर केंद्रों से डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु, संबंधित अभ्यर्थी के न्यूनतम दो प्रकाशन (स्वीकृत तथा प्रकाशित) अनुक्रमणीकृत शोध पत्रिका (राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, प्रथम या द्वितीय लेखक के रूप में) हो।

(ii) यदि संबंधित अभ्यर्थी के पास अपेक्षित प्रकाशन नहीं है, तो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डी.एन.बी.) अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या केंद्रीय संस्थान में कुल तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव अवश्य हो।

अनिवार्य (अति विशिष्टता शास्त्रों हेतु)

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता (तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए); तथा

(ii) शल्य चिकित्सा अति विशेषज्ञताओं हेतु एम.सी.एच. (मास्टर ऑफ चेरुजरजिकल) तथा आयुर्विज्ञान अति विशिष्टताओं हेतु डी.एम. (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) (2 वर्ष या 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) या भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुसूची-I की तालिका-II—“चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हताएँ विनियम, 1998” के अनुसार संबंधित विषय या विशेषज्ञता में इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अर्हता।

अनुभव :

- विषय में मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्थात् भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त।
- मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में रेजीडेंट या कुल सचिव या निदर्शक या अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पणी : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अर्हताओं संबंधित अनुभव भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर शिथिलनीय हैं।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति 1. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष 2. संकाय अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान या चिकित्सा अथवा दंत्य महाविद्यालय —सदस्य 3. उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं

दीपक कुमार
महानिदेशक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd July 2015

No. A.12 (11)/2009-Med.-IV—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Medical Teaching Faculty posts) Recruitment Regulations, 2008 published in the Gazette of India vide No.A-12(11)11/2008-Med.-IV dated the 2nd May, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations for regulating the method of recruitment to the medical teaching faculty posts in the Employees' State Insurance Corporation's medical colleges, namely:-

1. Short title and commencement :-

(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Medical Teaching Faculty posts), Recruitment Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: – These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale :- The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-The method of recruitment, age -limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Composition of Selection Board :-

(1) Selection Board shall consist of-

(a) a part-time Chairman of the status equivalent to Secretary or Additional Secretary to the Government of India or a person who had held the post equivalent to Secretary or Additional Secretary to the Government of India, may be appointed by Secretary, Ministry of Labour and Employment or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation;

(b) two Medical experts from the discipline or specialised field for which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation; and

(c) the Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the departmental expert in New Delhi and in case of other States, the Senior State Medical Commissioner or State Medical Commissioner of the respective States will be departmental expert:

Provided, that the Director General can nominate some other officer as the departmental expert, in case the said officers are not available due to some reasons.

(2) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board and his term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(3) The part-time Chairman and the Medical or Dental Experts shall be entitled to travelling allowances, sitting fees, etc. at such rates as may be fixed by the Director General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Central Government.

(6) Procedure and manner of Selection:-

- (1) Direct recruitment to the posts included in the said Schedule shall ordinarily be made on the basis of an interview of eligible candidates by the Selection Board:

Provided that in case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment other than on the basis of an interview of eligible candidates by the selection Board, the Director General may adopt the same after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, and however, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

- (2) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman of the Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
- (3) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience, etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
- (4) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (5) The Selection Board will be provided necessary secretarial assistance by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

7. Disqualification: - No person :-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

8. Power to relax:- Where the Director General of the Employees State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
9. Savings:-Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

DEEPAK KUMAR
Director General

SCHEDULE

Name of the post .	Number of posts.	Classification .	Pay Band and Grade Pay or Pay scale.	Whether selection or non – selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees .	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or by deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1)Principal or Dean of Under Graduate and Post Graduate Medical College.	23*(2015) *(subject to variation depending on work load.)	Equivalent to Group 'A' . Non-ministerial , Non-Gazetted.	Pay Band -4 Rs.37400 -67000/- with grade pay of Rs 10,000 plus non practicing allowance .	Not applicable .	Not exceeding 55 years (relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time -to-time) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh,	For GENERAL DISCIPLINES: EDUCATIONAL QUALIFICATIONS (i) A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council, Act, 1956. (Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in section 13 (3) of the said Act,); and (ii) a Post Graduate medical qualification i.e. Doctor of Medicine (MD)or Master of Surgery (MS) or a recognized qualification equivalent thereto in the respective subject or allied discipline Note: The respective subject or allied discipline should be as in the Table - I of Schedule I of the, Medical Council of India- "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" EXPERIENCE: (i)Fourteen years of teaching experience and/or research experience in a recognized institution in the concerned specialty or subject, after obtaining the qualifying degree of Doctor of Medicine(MD) or Master of Surgery(MS) or qualification equivalent thereto. (ii)Minimum of ten years teaching experience as Professor or Associate Professor or Reader in a medical college, out of which at least five years should be as Professor in a Department. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Selection Board in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is/ are relaxable at the discretion	Not applicable	One year	By Direct Recruitment OR by deputation OR short-term contract[In case of recruitment by contract or deputation, the candidate has to fulfill the essential qualifications as enumerated in Column (7)]	DEPUTATION Officers under the Central or State Government service or Public Sector Undertaking: (i) holding analogous posts and possessing same qualifications and experience as for direct recruitment under Column (7) Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed three years. Note2:-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for	Departmental Promotion Committee for considering confirmation : (i) Secretary, Ministry of Labour and Employment Government of India - Chairman (ii)Additional Secretary or Joint Secretary , Ministry of Labour and Employment -Member (iii)Director General, Employees' State Insurance Corporation – Member	Not applicable

					<p>Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>of the Selection Board in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, and if at any stage of selection, the Selection Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill of the vacancies reserved for them.</p> <p>Note 3: The experience should be recognized by the Medical Council of India or the statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.</p> <p>Note 4: Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>				<p>appointment by promotion.</p> <p>Note 3:-The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 4:The maximum age limit for appointment by contract shall be not exceeding 62 years as on the closing date of the receipt of the applications.</p> <p>Note 5:- For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(2) Director Professor.	51 (2015)* *(subject to variation dependin g on work load.)	Equivalent to Group 'A', non- ministerial, Non- Gazetted	Pay Band -4 Rs.37400- 67000 with grade pay of Rs 10,000 plus non practicing allowance.	Selection.	Not applicable	Not applicab le.	Not applicabl e.	Not applicabl e.	By promotion , failing which by deputation.	<p>PROMOTION Professor with *seven years regular service in Pay Band-4 Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs.8700/- (*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service).</p> <p>Note 1: The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion.</p> <p>Note 2:-Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>DEPUTATION: Officers under Central or State Government service or Public Sector Undertaking: (i)holding analogous posts or (ii)professors in pay band-4 Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700 with seven years of experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p>Note 2:-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3:-The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 4:- For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	Departmental Promotion Committee for considering promotion 1. Secretary, Ministry of Labour and Employment (Government of India) - Chairman 2.Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member. 3. Director General, Employees' State Insurance Corporation - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(3) Professor.	366 (2014)* (subject to variation depending on work load.)	Equivalent to Group 'A', Non- ministerial , Non- Gazetted.	Pay Band-4 37400- 67000 with grade pay of Rs 8700 plus non practicing allowance.	Selection .	Not exceeding 50 years (relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants,in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	For GENERAL DISCIPLINES: EDUCATIONAL QUALIFICATIONS Essential for Medical Candidates (i) A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council, Act, 1956. (Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in section 13 (3) of the said Act,);and (ii) a post graduate qualification e.g. MD (Doctor of Medicine) or (MS)Master of Surgery or a recognized qualification equivalent thereto in the respective subject or allied discipline (iii) For Dentistry: A post graduate qualification i.e. Master of Dental Surgery (MDS)or a recognized qualification equivalent thereto in the respective subject or allied discipline. Essential for Non-Medical Candidates (I) a postgraduate qualification i.e. Masters Degree in the concerned subject or allied discipline; and (ii) a Doctorate degree from a recognized University in the respective subject or allied discipline. Note: The respective subject or allied discipline should be as in the Table - I of Schedule I of the, Medical Council of India - "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998". Experience a)Four years teaching experience as a Reader or Associate Professor in a recognized medical college in the concerned specialty Note: The transitory period of 4 years with effect from 24th July, 2009, the appointment or promotion to the post of Professor can be made by the institutes in accordance with the Medical Council of India - "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before notification of Medical Council of India- "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009". OR b) Three years teaching experience as Associate Professor in the concerned specialty in a recognized medical college with minimum of four research publications in indexed or national	Age:No Educational Qualificatio n: Yes.	One year (for direct recruits only).	fifty percent by promotion failing which by deputation or absorption or by short- term contract and fifty percent by direct recruitment Note: In case of recruitment by contract or deputation, the candidate has to fulfill the essential qualifications as enumerated in Column (7).	PROMOTION Associate Professor with *four years regular service in pay band -3 Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600 subject to satisfaction of Medical Council of India Norms and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion. (*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service). Note 1:The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade and satisfactory completion of mandatory training before considering for promotion. Note 2:-Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in	Departmental promotion Committee:- 1.Director General, Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2.Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation - Member 3-Dean, Employees' State Insurance Corporation Post Graduate Institute of Medical and Scientific research or Dental College or Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -- Member	Not applicable

					<p>journals provided that these research publications are published or accepted for publication in the Journals by the National Associations or Societies of the respective specialties as the First Author, and further provided that the requirement of four research publications for promotion to the post of Professor should be taken on cumulative basis with minimum of two research publications must be published during the tenure of the Associate Professor.</p> <p>Note 1: Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of Selection Board in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Selection Board in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, and if at any stage of selection, the Selection Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill -up the vacancies reserved for them.</p> <p>Note 3: The experience should be recognized by the Medical Council of India or the statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.</p> <p>Note 4: Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p> <p>for SUPER SPECIALTY DISCIPLINES EDUCATIONAL QUALIFICATIONS</p> <p>(i) A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council, Act, 1956. (Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in section 13 (3) of the said Act); and</p> <p>(ii) M.Ch. (Master of Chirurgical) for Surgical Super Specialties and D.M. (Doctorate of Medicine) for Medical Super Specialties (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or qualification recognized equivalent thereto in the subject or specialty as in the Table -II of Schedule I of the, Medical Council of India - "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998"</p> <p>EXPERIENCE:</p> <p>(a) Four years teaching experience as Reader or Associate Professor, in a</p>			<p>the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>DEPUTATION Officers under the Central or State Government service or Public Sector Undertaking: (i) holding analogous posts and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7) OR (ii) Associate Professors in pay band-3 Rs.15600-39100 with grade pay Rs.7600 with four years experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by contract shall be not exceeding 62 years as on the closing date of the receipt of the applications.</p> <p>Note 5:- For the purpose of</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>recognized medical college in the concerned specialty;</p> <p>Note: The transitory period of 4 years with effect from 24th July, 2009, the appointment or promotion to the post of Professor can be made by the institutes in accordance with the Medical Council of India - "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before notification of Medical Council of India- "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009".</p> <p>OR</p> <p>(b) Three years teaching experience as Associate Professor, in a recognized medical college in the concerned specialty with minimum of four research publications in indexed or national journals provided that these research publications are published or accepted for publication in the Journals by the National Associations or Societies of the respective specialties as the First Author, and further provided that the requirement of four research publications for promotion to the post of Professor should be taken on cumulative basis with minimum of two research publications must be published during the tenure of the Associate Professor.</p> <p>Note 1: Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of the Selection Board in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Selection Board in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, and if at any stage of selection, the Selection Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill -up the vacancies reserved for them.</p> <p>Note 3: The experience should be recognized by the Medical Council of India or the statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.</p> <p>Note 4: Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>				<p>appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(4)	385 (2015)* *(subject to variation depending on work load.)	Equivalent to Group 'A', Non-ministerial, Non-Gazetted	Pay Band-3 15600-39100 with grade pay of Rs 7600 plus non practicing allowance.	Selection	Not exceeding 50 years (relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	For GENERAL DISCIPLINES: EDUCATIONAL QUALIFICATIONS Essential for Medical Candidates (i) A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council, Act, 1956.(Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in section 13 (3) of the said Act,); and (II) a post graduate qualification e.g MD (Doctor of Medicine)/MS (Master of Surgery)or a recognized qualification equivalent thereto in the respective subject or allied discipline; (III) For Dentistry: A post graduate qualification I.e. Master of Dental Surgery (MDS) or a recognized qualification equivalent thereto in the respective subject or allied discipline Essential for Non-Medical Candidates (I) A postgraduate qualification i.e. Masters Degree in the concerned subject or allied discipline; and (ii) A Doctorate degree from a recognized University in the respective subject or allied discipline. Note: The respective subject or allied discipline should be as in the Table - I of Schedule I of the, Medical Council of India- "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998". EXPERIENCE: (a) Five years teaching experience as Lecturer or Assistant Professor in a recognized medical college in the concerned specialty Note : The transitory period of 4 years with effect from 24th July, 2009, the appointment or promotion to the post of Associate Professor can be made by the institutes in accordance with the Medical Council of India- "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before notification of Medical Council of India- "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009". OR (b) Four years teaching experience as Assistant Professor in the concerned specialty in a recognized medical college with minimum of two research publications in indexed or national journals provided that these research publications are published or accepted for publication in the Journals by the National Associations or Societies of the respective specialties as the First Author, and further provided that the	Age:No Educational Qualificatio n: Yes	One year (for direct recruits only)	By promotion, failing which by direct recruitment or by transfer on deputation or absorption or by short-term contract. Note: In case of recruitment by contract or deputation, the candidate has to fulfill the essential qualifications as enumerated in Column (7)	PROMOTION Assistant Professor with *five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 with grade pay Rs.6600 subject to satisfaction of Medical Council of India(MCI)Norms and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion. (*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for study purpose, shall be excluded from the qualifying service.) Note 1:-If a Diplomate of National Board (DNB) qualified candidate is working as Assistant professor in a Medical Council of India recognized medical college or central institute, he would require one more year of teaching or research experience to be promoted as Associate Professor over and above the minimum time frame for doctor of medicine (MD)/Master of Surgery(MS) candidates. Note 2:-Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service	Departmental Promotion Committee 1-Medical Commissioner,Employee's State Insurance Corporation - Chairman 2- Dean,Employees' State Insurance Corporation Post Graduate Institute of Medical and Scientific research or Medical or Dental College - Member 3.Deputy Medical Commissioner,, Employees' State Insurance Corporation -- Member	Not applicable

					<p>requirement of two research publications for promotion to the post of Associate Professor should be fulfilled with two research publications must be published during the tenure of the Assistant Professor.</p> <p>Note 1: Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of Selection Board in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Selection Board in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes., and if at any stage of selection, the Selection Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them.</p> <p>Note 3: If a Diplomate of National Board (DNB) qualified candidate is working as Assistant Professor in a Medical Council of India recognized Medical college or Central institute, he would require one more year of teaching or research experience to be promoted as Associate Professor over and above the minimum time frame for Doctor of Medicine (MD) or Master of Surgery (MS) candidate.</p> <p>Note 4: The experience should be recognized by the Medical Council of India or the statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.</p> <p>Note 5: Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p> <p>For SUPER SPECIALTY DISCIPLINES: EDUCATIONAL QUALIFICATIONS</p> <p>(I) A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council, Act, 1956. (Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in section 13 (3) of the said Act); and</p> <p>(ii) Master of Chirurgical (M.Ch.) for Surgical Super Specialties and Doctorate of Medicine (D.M.) for Medical Super Specialties (2 years or 3 years or 5 years recognised course) or qualification recognized equivalent thereto in</p>						<p>rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>DEPUTATION Officers under the Central or State Government service/ Public Sector Undertaking: (i) holding analogous posts and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(7). OR (ii) Assistant Professors in pay band-3 Rs.15600-39100 with grade pay Rs.6600 with five years experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p>Note 2 :The departmental officers in the feeder</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

					<p>the subject /or specialty as in the Table -II of Schedule I of the, Medical Council of India- "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998".</p> <p>EXPERIENCE:</p> <p>Two years teaching experience as Assistant Professor, in a recognized medical college in the concerned specialty with minimum of two research publications in indexed or national journals provided that these research publications are published or accepted for publication in the Journals by the National Associations or Societies of the respective specialties as the First Author, and further provided that the requirement of two research publications for promotion to the post of Associate Professor should be fulfilled with two research publications must be published during the tenure of the Assistant Professor.</p> <p>Note 1: Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of Selection Board in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Selection Board in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, and If at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Note 3: If a Diplomate of National Board qualified candidate is working as Assistant Professor in a Medical Council of India recognized Medical college or Central institute, he would require one more year of teaching or research experience to be promoted as Associate Professor over and above the minimum time frame for Doctor of Medicine./Master of Surgery candidate.</p> <p>Note 4:The experience should be recognized by the Medical Council of India or the statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.</p> <p>Note 5: Teaching experience in any other post like the post of General Duty Medical Officer shall not be considered for eligibility purpose for recruitment to teaching posts.</p>			<p>category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note3:-The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 4:The maximum age limit for appointment by contract shall be not exceeding 62 years as on the closing date of the receipt of the applications.</p> <p>Note 5:- For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(5) Assistant Professor.	761 (2015)* (subject to variation depending on workload.)	Equivalen t to Group 'A', Non- ministeria l, Non- Gazetted.	Pay Band-3 Rs.15600- 39100 grade pay Rs.6600 plus non practicing allowance.	Not applicable.	Not exceeding 50 years (relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	For GENERAL DISCIPLINES: EDUCATIONAL QUALIFICATIONS Essential for Medical Candidates (i) A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council, Act, 1956. (Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in section 13 (3) of the said Act); and (ii) A post graduate qualification e.g. MD(doctor of medicine)/ MCh(Master of surgery) or recognized qualification in any thereto in the respective subject or allied discipline Essential for Non-Medical Candidates (I) A Postgraduate qualification i.e. Master's Degree in the concerned subject or allied discipline ; and (ii) A Doctorate degree of a recognized University in the respective subject or allied discipline. Note: The respective subject or allied discipline should be as in the Table - I of Schedule I of the, Medical Council of India "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998". Experience: (a) For the candidates possessing doctor of Medicine(MD) / Master of Surgery (MS) from Medical Council of India recognized medical colleges: Three years teaching experience in the subject as Resident or Registrar or Demonstrator or Tutor in a recognized medical college either during the post-graduate course or after obtaining postgraduate degree in the subject. (b) For the candidates possessing Diplomate of National Board qualification(DNB) from Medical Council of India recognized medical colleges or central institutes where the no doctor of medicine(MD) / master of surgery (MS) course running: (i)Three years teaching experience in the subject in a recognized medical college either during the Diplomate of National Board (DNB) course or after possessing Diplomate of National Board(DNB) qualification. (ii) The concerned candidate would also require one year of additional teaching or research experience in the concerned subject in a recognized medical college after obtaining Diplomate of National Board (DNB) qualification. (c)For candidates possessing Diplomate of National Board (DNB) qualification from Medical Council of India (MCI) recognized medical colleges or central institutes where there are doctor of medicine(MD)/Master of surgery(MS) course running: Three years teaching experience in the subject in a recognized medical college either during the Diplomate of National Board (DNB) course or after obtaining Diploma from national Board qualification. (d)for the candidates possessing diplomate of National Board(DNB) qualification from centers other than of Medical Council of India(MCI) recognized medical colleges or central institutes:	Not applicable	One year	By direct recruitment	Not applicable	Departmental Promotion Committee for considering confirmation 1. Medical Commissioner Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2. Dean, Employees' State Insurance Corporation Post Graduate Institute of Medical & Scientific Research or Medical or Dental College, --Member 3.-Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member	Not applicable

RRs of Assistant Professor has been amended wide notification published on 04.06.2022.

					<p>(i) Three years teaching experience in the subject either during the Diplomate of National Board course or after possessing Diplomate of National Board qualification.</p> <p>(ii) The concerned candidate would require two years additional teaching experience as Senior resident or Research Associate (Council of Scientific and Industrial Research) in a Medical Council of India recognized medical college or central institute.</p> <p>(e) Research Experience:</p> <p>(i) For the candidates obtaining Diplomate of National Board (DNB) qualification from centers other than Medical Council of India recognized medical colleges or central institutes, the concerned candidate should have minimum two publications (accepted or published) in the index journal (National or International as first or second author).</p> <p>(ii) In case the concerned candidate does not have the required publication, he must have a total of three years teaching experience in a recognized college or central institute after possessing Diplomate of National Board (DNB) qualification.</p> <p>Essential (for Superspeciality disciplines):</p> <p>(i) A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule to the Indian Medical Council, Act, 1956. (Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in section 13 (3) of the said Act); and</p> <p>(ii) M.Ch. [Master of Chirurgical] for Surgical Super Specialties and D.M. [Doctorate of Medicine] for Medical Super Specialties (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or qualification recognized equivalent thereto in the subject or specialty as in the Table -II of Schedule I of the, Medical Council of India - "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998.</p> <p>EXPERIENCE:</p> <p>1. Recognized specialization in the subject i.e. recognized by the Medical Council of India</p> <p>2. Three years teaching experience in the concerned specialty in a recognized medical college as resident or Registrar or Demonstrator or Tutor.</p> <p>Note : The qualifications regarding experience in respect of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate are relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in